

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 06 / 05 / 2015

संख्या-3/विविध-01-14/2014 - 174(3) /स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के डा0 राम नारायण राम, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर-सह-प्रभारी सिविल सर्जन, बक्सर को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत नियमित पदस्थापन होने तक सिविल सर्जन कार्यालय बक्सर का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(स्वयम्भू प्रिय)


सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-3/विविध-01-14/2014 - 174(3)

पटना, दिनांक 06 / 05 / 2015

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, बक्सर/क्षेत्रीय उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, बक्सर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/डा0 राम नारायण राम, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर-सह-प्रभारी सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 8 एवं 9/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव
सचिव